वितृत मंत्रालय

आधार संख्या और पेन संख्या तथा फॉर्म 60 देने की अंतिम तिथि बढ़कर 31/03/2018 हुई

Posted On: 13 DEC 2017 5:50PM by PIB Delhi

विभिन्न अभिवेदनों और बैंकों से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद आधार संख्या और पेन संख्या अथवा फॉर्म 60 जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इससे पहले कालेधन को सफेद में बदलने से रोकने के प्रावधानों (रिकॉर्डों के रख-रखाव) के अंतर्गत दूसरे संशोधन नियम, भारत के राजपत्र में 01/06/2017 को प्रकाशित हुए थे। इसमें व्यवस्था की गई थी कि

- यदि कोई व्यक्ति आधार को दर्ज कराने के योग्य है और उसे पेन संख्या मिल जाती है और उसने प्रतिवेदन कंपनी के साथ खाता आधारित संबंधों को शुरू करने के वक्त आधार संख्या अथवा पेन संख्या जमा नहीं कराई है, तो वह व्यक्ति खाता आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसे जमा करा सकता है। बशर्ते वह व्यक्ति आधार के लिए दर्ज होने योग्य हो और उसके पास पेन संख्या हो और उसका अधिसूचना की तारीख से पहले प्रतिवेदन कंपनी के साथ खाता आधारित संबंध हो, वह व्यक्ति 31 दिसंबर, 2017 तक आधार संख्या और पेन संख्या जमा करा सकता है।
- यदि व्यक्ति छह महीने की अवधि के भीतर आधार संख्या और पेन संख्या जमा कराने में विफल रहता है तो वह खाता तब तक संचालित नहीं कर सकता जबतक व्यक्ति द्वारा आधार संख्या और पेन संख्या जमा नहीं कराई जाती।

वीके/एएम/केपी/डीके-5852

(Release ID: 1512508) Visitor Counter: 43